हुक्म न जानने के कारण रमज़ान के दिन में पत्नी से कई बार संभोग कर लेने वाले का हुक्म

﴿حكم من جامع زوجته في نهار رمضان عدة مرات جاهلاً بالحكم﴾

[*हिन्दी* - **Hindi** - هندي]

अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ रहिमहुल्लाह

अनुवादः **अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह**

2010 - 1431

islamhouse.com

﴿ حكم من جامع زوجته في نهار رمضان عدة مرات جاهلاً بالحكم ﴾

« باللغة الهندية »

سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2010 - 1431

islamhouse.com

بسم الله الرحمن الرحيم

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

हुक्म न जानने के कारण रमज़ान के दिन में पत्नी से कई बार संभोग कर लेने वाले का हुक्म

प्रश्नः

उस आदमी का क्या हुक्म है जिसने हुक्म से अनभिज्ञ होने के कारण रमज़ान के दिन में अपनी पत्नी से कई बार संभोग कर लिया ?

उत्तरः

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान अल्लाह के लिए योग्य है।

इस बात में कोई सन्देह नहीं कि अल्लाह तआला ने रमज़ान के दिन में अपने बन्दों पर खाना, पीना, संभोग करना और प्रत्येक रोज़ा तोड़ने वाली

चीज़ को हराम (वर्जित) कर दिया है। तथा रमज़ान के दिन में संभोग करने वाले आदमी पर, यदि वह स्वस्थ और मुक़ीम मुकल्लफ (बालिग और बुद्धि वाला) है, बीमार और यात्रा पर नहीं है तो (उसके ऊपर) कफ्फारा अनिवार्य किया है। और वह कफ्फारा एक गुलाम मुक्त करना है, यदि गुलाम न मिले तो लगातार दो महीने रोज़ा रखना, यदि इस पर सक्षम नहीं है तो साठ मिस्कीनों को खाना खिलाना। प्रत्येक मिस्कीन को खिलाने की मात्रा शहर के खूराक से आधा साअ् (लगभग 1.5 किलो ग्राम) है। किन्तु जिस आदमी ने रमज़ान के दिन में हुक्म से अनभिज्ञ होने के कारण संभोग कर लिया और वह ऐसे लोगों में से है जिस पर उसके बालिग, स्वस्थ और मुक़ीम (निवासी) होने के कारण रोज़ा रखना अनिवार्य है, तो विद्वानों ने उसके मामले में मतभेद किया है। कुछ लोगों का कहना है कि उस पर कफ्फारा अनिवार्य है क्योंकि वह प्रश्न न करने और दीन के बारे में समझबूझ और जानकारी प्राप्त करने में लापरवाही और कोताही करने वाला है। जबकि अन्य विद्वानों का कहना है कि : उस पर कफ्फारा अनिवार्य नहीं है ; क्योंकि वह जाहिल और अनजाना (अनभिज्ञ) है।

इस से आप को ज्ञात हो जाता है कि आप के लिए एहतियात (सावधानी) इसी में है कि आप पर कफ्फारा है ; क्योंकि आप ने कोताही की है और आप पर जो चीज़ हराम है उसके बारे में, उसको करने से पहले, प्रश्न नहीं किया। यदि आप गुलाम आज़ाद करने और रोज़ा रखने की ताक़त नहीं रखते हैं, तो जितने दिन आपने संभोग किया है हर दिन के बदले साठ मिस्कीनों को खाना खिलाना काफी है। यदि आप ने दो दिन संभोग किया है तो आप पर दो कफ्फारा अनिवार्य है, और यदि आप ने तीन दिन संभोग किया है तो आप पर तीन कफ्फारा अनिवार्य है। इस तरह हर दिन के संभोग के बदले एक कफ्फारा हैं। जहाँ तक एक ही दिन में कई एक

बार संभोग का प्रश्न है तो उनकी तरफ से एक ही कफ्फारा काफी है। इसी में आप के लिए अधिक सावधानी है और अपने ज़िम्मा को बरी करने, विद्वानों के मतभेद से निकलने और अपने रोज़े की छतिपूर्ति करने के लिए यही आप के लिए सब से अच्छा है।

यदि आप को उन दिनों की संख्या याद नहीं जिन में आप ने संभोग किया है तो आप सावधानी (एहतियात) पर अमल करें ; और वह अधिक संख्या को अपनाना है। यदि आप को सन्देह है कि ये तीन दिन हैं या चार दिन? तो आप इन्हें चार दिन मानें, और इसी प्रकार आप करें, किन्तु आपके लिए वही चीज़ करनी ज़रूरी है जिसे आप सुदृढ़ रूप से जानते हैं। अल्लाह तआला हमें और आप को उस चीज़ की तौफीक़ (शक्ति) दे जिसमें उसकी प्रसन्नता और ज़िम्मेदारी से मुक्ति है।

समाहतुश्शैख अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ रहिमहुल्लाह की किताब "मजमूअ फतावा व मक़ालात मुतनौविआ" ९५/३०४.